न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—116/10 (2010/00016) वाद पत्र

उनवान

1—कंकु पत्नि नैना रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—तुलछी पत्नि लक्ष्मण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सुशीला पत्नि मांगीलाल रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—खमाण आत्मज गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायण आत्मज गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—रूकमण पुत्री गोमा पत्नि चत्रभुज रेगर निवासी रायपुर हाल कोयड़ तहसील रेलमगरा
4—कमला पुत्री गोमा पत्नि नैनु रेगर निवासी रायपुर हाल गंगापुर तहसील सहाड़ा
5—प्यारी पुत्री गोमा पत्नि मोहनलाल रेगर निवासी रायपुर हाल खण्डेल तहसील रेलमगरा
6—तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.03.2020

उक्त प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात खाता संख्या 155 में स्थित आराजी संख्या 4121 रकबा 0.46 है0 आराजी नम्बर 4134 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 भूमि स्थित है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है इस प्रकार ग्राम रायपुर की संयुक्त खाते की अराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा होकर संयुक्त रूप काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर जरिये बाई मीट्स एण्ड बोड्स विभाजन कराना फरमावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.07.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये जिस पर विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़े अनुसार काबिज है बंटवाड़ा कराने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है ओर मजीद कथन के रूप में निवदेन किया कि आराजी नम्बर 4121 रकबा 0.46 है0 मे से 0.33 है0 भूमि प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में एवं 4134 रकबा 0.24 है0 व आराजी नम्बर 4121 का शेष 0.11 है0 भूमि रामा का हिस्सा रखा गया इसी प्रकरण में वर्णित आराजी से सम्बधित एक वाद जिसका मुकदमा नम्बर 30/13 विचाराधीन है जिसमें रेकार्ड दुरूस्त होने पर इस वाद का निर्णय किया जाना उचित है।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने यही निवेदन किया कि प्रकरण 30/2013 जो इन्ही पक्षकारो के मध्य विचाराधीन होकर इन्द्राज दुरूस्ती से सम्बधित है ओर उस प्रकरण में आराजी का नक्शा सही होने का निर्णय होने के बाद इस पत्रावली का निर्णय

किया जाना पक्षकारो के हित में है उस प्रकरण में दिनांक 26.04.2011 की रिपोर्ट में मौके की स्थिति दर्शा रखी है उसी अनुसार इस पत्रावली में वर्णित पक्षकरो के कब्जे में जो जो खसरा नम्बर आते है उसी का बंटवाड़ा किया जाये ताकि रेकार्ड ओर मौक में एकरूपता हो सके।

मैने अधिवक्ताओ के कथन पर मनन किया तथा अनुभाग से प्रकरण 30 / 2013 की पत्रावली तलब की गई जिसमें सलंग्न दिनांक 26.04.2011 की रिपोर्ट में इस पत्रावली में वर्णित पक्षकारों का कब्जा वादवर्णित आराजी संख्या 4121 रकबा 0.46 है0 मे से 0.29 है0 व आराजी नम्बर 4134 रकबा 0.24 है0 मे से 0.12 है0 भूमि पश्चिम दिशा में ओर इसी सीद में आराजी नम्बर 4135 रकबा 0.42 है0 मे से 0.29 है0 इस प्रकार किता 3 रकबा 0.70 है0 भूमि वादवर्णित भूमि बनती है इस भूमि के पक्षकारान को प्रकरण संख्या 30 / 13 निर्णय दिनांक 03.03.2020 से खातेदार घोषित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में वादवर्णित पक्षकार उक्त आराजियात का ही विभाजन किराने का अधिकारी है जिससे वाद 30 / 13 में वर्णित आराजियात का विभाजन किया जाना न्यायोचित है विभाजन प्रस्ताव पूर्व में इस पत्रावली में पेश किया गया है किन्तु प्रकरण 30 / 13 विचाराधीन होने से आगे कार्रूवाही नही हुई उस प्रकरण का निस्तारण होने से उसी अनुसार इस प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 4121 रकबा 0.29 है0, एवं आराजी नम्बर 4134 रकबा 0.12 है0 मे से 0.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि खमाण, नारायण पिता गोमा, रूकमण कमला प्यारी पुत्री गोमा रेगर सा. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4134 रकबा 0.12 है0, मे से 0.06 है0 एवं आराजी संख्या 4135 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि कंकु पत्नि नेना, तुलछी पत्नि लक्ष्मण एवं सुशीला पत्नि मांगीलाल रेगर को खातेदार काश्तकार घेषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण संख्या 30 / 13 के निर्णय की प्रति इस पत्रावली में सलंग्न की जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–116/10 (2010/00016) वाद पत्र

उनवान

1–कंकु पत्नि नैना रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–तुलछी पत्नि लक्ष्मण रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–सुशीला पत्नि मांगीलाल रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–खमाण आत्मज गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–नारायण आत्मज गोमा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–रूकमण पुत्री गोमा पत्नि चत्रभुज रेगर निवासी रायपुर हाल कोयड़ तहसील रेलमगरा
4–कमला पुत्री गोमा पत्नि नैनु रेगर निवासी रायपुर हाल गंगापुर तहसील सहाड़ा
5–प्यारी पुत्री गोमा पत्नि मोहनलाल रेगर निवासी रायपुर हाल खण्डेल तहसील रेलमगरा
6–तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 4121 रकबा 0.29 है0, एवं आराजी नम्बर 4134 रकबा 0.12 है0 मे से 0.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि खमाण, नारायण पिता गोमा, रूकमण कमला प्यारी पुत्री गोमा रेगर सा. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4134 रकबा 0.12 है0, मे से 0. 06 है0 एवं आराजी संख्या 4135 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि कंकु पत्नि नेना, तुलछी पत्नि लक्ष्मण एवं सुशीला पत्नि मांगीलाल रेगर को खातेदार काश्तकार घेषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण संख्या 30/13 के निर्णय की प्रति इस पत्रावली में सलंग्न की जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

5.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:45:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: